विभाजन का विलेख प्रारूप

यह विभाजन विलेख दिनांकमाहसन्सन्को श्रीको
आत्मज
है) तथा आत्मज आयुवर्ष, निवासी (जिसे आगे
''द्वितीय पक्षकार'' कहा गया है) के बीच (ग्राम / शहर का नाम) में निष्पादित किया गया ।
चूंकि उक्त प्रथम एवं द्वितीय पक्षकार सहस्वामी होकर निम्नांकित चल–अचल, एवं पैतृक
सम्पत्ति के संयुक्त स्वामी एवं अधिपति है।
चल-अचल, एवं पैतृक सम्पत्तियों का विस्तृत विवरण :
और चूंकि उक्त दोनों सहस्वामियों ने उक्त परिवारिक सम्पत्ति का बंटवारा करने का निर्णय
किया है । अतएव अब यह विलेख साक्ष्यांकित करता है कि :
(1) संयुक्त हिन्दु परिवार की सारी सम्पत्ति के बराबर-बराबर दो हिस्से कर दो अनुसूचियां "अ",
''ब'', में उसे उल्लेखित कर दिया गया है एवं प्रत्येक अनुसूची में की सम्पत्तियों का मूल्य रू
होगा ।
(2) अनुसूची "अ" में की सारी सम्पत्ति प्रथम पक्षकार को तथा अनुसूची "ब" में की सारी सम्पत्ति
द्वितीय पक्षकार को प्रदान की जाती है । जब सम्बंधित सम्पत्तियों पर सारे स्वत्व–हित,
अधिकार पृथक रूप से सम्बंधित उक्त वर्णित पक्षकारों में निहित होंगे, जिसका प्रत्येक पक्षकार
आनंद से उपयोग, उपभोग करने का अधिकारी होगा, जिसमें किसी को हस्ताक्षेप करने का
अधिकार नहीं होगा ।
(3) उक्त सम्पत्तियों से संबंधित सारे दस्तावेजात एवं कागजात तथा स्वत्व–विलेख सम्बंधित
पक्षकारों को दे दिये गये है ।
(4) उक्त विभाजन विलेख की दो प्रतियाँ तैयार की गई है, जिसमें से मुद्रांक पर की प्रति प्रथम
पक्षकार, को एवं दूसरी प्रति दूसरे पक्षकार को दी जाएगी । उपर्युक्त के साक्ष्य स्वरूप हम
दोनों पक्षकारों न ेनिम्नलिखित दो साक्षियों के समक्ष उपर्युक्त स्थान एवं दिनांक पर अपने
हस्ताक्षर कर दिये है ।
साक्षीगण:—
(1)
(2)
हस्ताक्षर(प्रथम पक्षकार)
हस्ताक्षर हस्ताक्षर
(द्वितीय पक्षकार)
सम्पत्तियों की अनुसूचियां :-
अ
ब